



सत्यमेव जयते


राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवम् पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2( )पंरावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/PIL/2020/ 118 जयपुर, दिनांक 15-1-2021

**आदेश**


श्री सन्त कुमार मीणा, विकास अधिकारी पंचायत समिति तारानगर जिला चूरु की विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर ली गयी सेवायें समाप्त कर इनके पैतृक विभाग (उच्च शिक्षा) को लौटायी जाकर तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।

श्री मीणा विकास अधिकारी के पद का कार्यभार विभागीय परिपत्र दिनांक 27.4.2020 के अनुसार पंचायत समिति में पदस्थापित अधिकारियों के वरीयता क्रम में संभलाकर तत्काल अपनी उपस्थिति अपने पैतृक विभाग(मुख्यालय) पर प्रस्तुत करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

  
(मंजु राजपाल)  
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, नगरपालिका, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. संयुक्त सचिव (एल.टी.) मा. मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ1(1128)स्था/निकशि/09/123 दिनांक 23.9.2020 के क्रम में सूचनार्थ प्रस्तुत है।
9. संभागीय आयुक्त बीकानेर।
10. जिला कलेक्टर चूरु।
11. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद चूरु।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति तारानगर जिला चूरु।
13. ए.सी.पी कम्प्युटर सैल, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. श्री सन्त कुमार मीणा, विकास अधिकारी पंचायत समिति तारानगर जिला चूरु को पालनार्थ।
15. आदेश पत्रावली।

  
(डॉ. प्रवीण कुमार)  
उपायुक्त एवं शासन उप सचिव (द्वितीय)